न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 217/2020

1. हरदत्त पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. रघुवीर पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा। :असल प्रतिवादी
2. राकेश कुमार पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. ममता पुत्री रघुवीर जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. एस.बी.आई. बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी
वकील श्री जाकिर हुसैन : प्रतिवादीगण

दिनांक : 17-2-2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा नुवां के खाता सं0 100/90 के खसरा सं0 112 की 7.4360है0, खसरा सं0 329 की 5.3370है0 कुल 12.7730है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता राजेराम की खातेदारी हुआ करती थी। राजेराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने से तनकीह की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु हरदत्त पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी नुवां बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नुंवा खाता सं0 100/90 संवत 2072—75 प्रदर्श 2, सत्यप्रति नामान्तरण सं0 568 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने नुवां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 1 में वारिसप्रमाण पत्र में रघुवीर के दो पुत्र हरदत व राकेश कुमार व एक पुत्री ममता के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा नुवां के खाता सं0 100/90 के खसरा सं0 112 की 7.4360है0, खसरा सं0 329 की 5.3370है0 कुल 12.7730है0बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा नुवां के खाता सं0 100/90 के खसरा सं0 112 की 7.4360है0, खसरा सं0 329 की 5.3370है0 कुल 12.7730है0बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी हरदत सिंह व प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर व प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 217/2020

1. हरदत्त पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रघुवीर पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा। :असल प्रतिवादी
2. राकेश कुमार पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. ममता पुत्री रघुवीर जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. एस.बी.आई. बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जाकिर हुसैन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा नुवां के खाता सं0 100/90 के खसरा सं0 112 की 7.4360है0, खसरा सं0 329 की 5.3370है0 कुल 12.7730है0बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी हरदत सिंह व प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर व प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)

भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner